

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 87 : Electronic Cash Ledger**

- (1) The electronic cash ledger under sub-section (1) of section 49 shall be maintained in **FORM GST PMT-05** for each person, liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount, on the common portal for crediting the amount deposited and debiting the payment therefrom towards tax, interest, penalty, fee or any other amount.
- (2) Any person, or a person on his behalf, shall generate a challan in **FORM GST PMT-06** on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fees or any other amount.

<sup>1</sup>[**Provided that** the challan in **FORM GST PMT-06** generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.]

<sup>2</sup>[\*\*\*\*]

- (3) The deposit under sub-rule (2) shall be made through any of the following modes, namely:-
- (i) Internet Banking through authorized banks;
  - <sup>3</sup>[(i) Unified Payment Interface (UPI) from any bank;
  - (ii) Immediate Payment Services (IMPS) from any bank;]
  - (ii) Credit card or Debit card through the authorised bank;
  - (iii) National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement from any bank; or
  - (iv) Over the Counter payment through authorized banks for deposits up to ten thousand rupees per challan per tax period, by cash, cheque or demand draft:

**Provided that** the restriction for deposit up to ten thousand rupees per challan in case of an Over the Counter payment shall not apply to deposit to be made by-

- 
- 1 Proviso inserted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 17-08-2017.
- 2 Proviso omitted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019. Earlier to omission it read as under:  
"Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board's payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board."
- 3 Sub-clause (ia) & (ib) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f.05-07-2022.

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

- (a) Government Departments or any other deposit to be made by persons as may be notified by the Commissioner in this behalf;
- (b) Proper officer or any other officer authorised to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable properties;
- (c) Proper officer or any other officer authorised for the amounts collected by way of cash, cheque or demand draft during any investigation or enforcement activity or any *ad hoc* deposit:

<sup>4</sup>[**Provided further** that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.]

**Explanation**—For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that for making payment of any amount indicated in the challan, the commission, if any, payable in respect of such payment shall be borne by the person making such payment.

- (4) Any payment required to be made by a person who is not registered under the Act, shall be made on the basis of a temporary identification number generated through the common portal.
- (5) Where the payment is made by way of National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement <sup>5</sup>[or Immediate Payment Service] mode from any bank, the mandate form shall be generated along with the challan on the common portal and the same shall be submitted to the bank from where the payment is to be made:  
**Provided that** the mandate form shall be valid for a period of fifteen days from the date of generation of challan.
- (6) On successful credit of the amount to the concerned government account maintained in the authorised bank, a Challan Identification Number shall be generated by the collecting bank and the same shall be indicated in the challan.
- (7) On receipt of the Challan Identification Number from the collecting bank,

---

<sup>4</sup> Proviso substituted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 17-08-2017. Earlier to substitution it read as under:

"**Provided further** that the challan in **FORM GST PMT-06** generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days."

<sup>5</sup> Inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

the said amount shall be credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit has been made and the common portal shall make available a receipt to this effect.

- (8) Where the bank account of the person concerned, or the person making the deposit on his behalf, is debited but no Challan Identification Number is generated or generated but not communicated to the common portal, the said person may represent electronically in **FORM GST PMT-07** through the common portal to the bank or electronic gateway through which the deposit was initiated.

<sup>6</sup>[**Provided** that where the bank fails to communicate details of Challan Identification Number to the Common Portal, the Electronic Cash Ledger may be updated on the basis of e-Scroll of the Reserve Bank of India in cases where the details of the said e-Scroll are in conformity with the details in challan generated in **FORM GST PMT-06** on the Common Portal.]

- (9) Any amount deducted under section 51 or collected under section 52 and claimed <sup>7</sup>[\*\*\*\*] by the registered taxable person from whom the said amount was deducted or, as the case may be, collected shall be credited to his electronic cash ledger <sup>8</sup>[\*\*\*\*].
- (10) Where a person has claimed refund of any amount from the electronic cash ledger, the said amount shall be debited to the electronic cash ledger.
- (11) If the refund so claimed is rejected, either fully or partly, the amount debited under sub-rule (10), to the extent of rejection, shall be credited to the electronic cash ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**.
- (12) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic cash ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.
- <sup>9</sup>(13) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess in **FORM GST PMT-09**.]

---

6 Inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax dated 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

7 The words "in **FORM GSTR-02**" omitted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

8 The words "in accordance with the provisions of rule 87" omitted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

9 Sub-rule (13) inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 21-04-2020 by Noti. No. 37/2020–Central Tax, dt. 28-04-2020.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

<sup>10</sup>[(14) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for central tax or integrated tax of a distinct person as specified in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25, in **FORM GST PMT- 09**:

**Provided that** no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register.]

**Explanation 1.**&The refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected.

**Explanation 2.**&For the purposes of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal.

---

---

**10** Sub-rule (14) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 87 : इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता**

- (1) धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में रखा जाएगा जो जमा की गई रकम को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है।
- (2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा :
- <sup>1</sup>[परन्तु सामान्य पोर्टल सृजित किया गया **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :]
- <sup>2</sup>[.....]
- (3) उप-नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात् :
- (i) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;
- <sup>3</sup>[(i) किसी बैंक से एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ (यूपीआई);
- (i) किसी बैंक से तत्काल संदाय सेवा (आई एम पी एस);]
- (ii) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;
- (iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि-निर्धारण;
- (iv) नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रूपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर :
- परन्तु** काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रूपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा :

1 अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.06.2019 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"परन्तु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्त सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की संदाय प्रणाली अर्थात् बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी ऐसा कर सकेगा।"

3 अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपखंड (i) एवं (i) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों, जिनके अंतर्गत जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है;
- (ग) किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया-कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए समुचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी;

<sup>4</sup>[परन्तु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से विश्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप-नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा ]]

**स्पष्टीकरण :** इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

- (4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय सामान्य पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- (5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल निपटान <sup>5</sup>[या तत्काल संदाय सेवा] ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा :
- परन्तु** अनिवार्य प्ररूप चालान किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।
- (6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।
- (7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल पर इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।

4 अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

**परन्तु** यह और कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

5 अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।
- <sup>6</sup>[परन्तु जहां बैंक सामान्य पोर्टल पर चालान पहचान संख्या के विवरण को सम्प्रेषित करने में विफल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई-स्कॉल के आधार पर अपडेट किया जा सकता है, जहां उक्त ई-स्कॉल की कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उत्पन्न चालान के ब्यौरे के साथ अनुरूपता है।]
- (9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी, <sup>7</sup>[.....] में दावा की गई कोई रकम <sup>8</sup>[.....] उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।
- (10) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।
- (11) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप-नियम (10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।
- (12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।
- <sup>9</sup>[(13) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, साधारण पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 में एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शास्ति, फीस की रकम या किसी अन्य रकम को अंतरित कर सकेगा।

6 अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

7 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "प्ररूप जीएसटीआर-02" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

8 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "नियम 87 के उपबंधों के अनुसार" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

9 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उपनियम (13) अंतःस्थापित। इस उपनियम (13) को अधिसूचना क्रमांक 37/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.04.2020 द्वारा दिनांक 21.04.2020 से प्रभावशील किया गया।

**केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017**

<sup>10</sup>[(14) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, उपलब्ध कर की किसी रकम, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09** में धारा 25 की उपधारा 4 या उपधारा 5, जैसी स्थिति हो, में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति के केन्द्रीय कर या एकीकृत कर के लिए इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा :

**परंतु** ऐसा कोई अंतरण तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत्त दायित्व रखता है;]

**स्पष्टीकरण 1.** : प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

**स्पष्टीकरण 2.** : इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार समुचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

---

<sup>10</sup> अधिसूचना क्रमांक 14 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम (14) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।